

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक— **804** / 1सी0 (वन)
सेवा में,

दिनांक **21/06** / 2017

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:— प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/19756/2016** लंगासू—निवाणी—खेत—सिलंगी मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक सं० 2009 / FP/UK/ROAD/19786/2016 दिनांक 16.02.2017

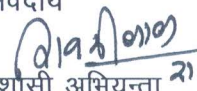
महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	डिजिटल मानचित्र में Starting Point and Ending Point स्थल का नाम अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र में Starting Point and Ending point स्थल का नाम अंकित कर दिया गया है। संलग्न 1— मानचित्र (मूल कापी का पेज नं० 13)
2	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी० पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी० पर Latitude & Longitude दर्शा कर Part I के बिन्दु सं० C (iv) में ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 2— जीयोरफरेन्स मैप (मूल कापी का पेज नं० 13)
3	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude अंकित Part I के बिन्दु सं० C (iii) में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 3— डिजिटल मानचित्र (मूल कापी का पेज नं० 12)
4	मार्ग जहाँ से आरम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	मार्ग एन०एच० 07 के कि०मी० 409 स्थान लंगासू से प्रारम्भ हो रहा है, जिसे मानचित्र में दर्शा दिया गया है, (मूल कापी का पेज नं० 13)
5	प्रस्तावित मार्ग लंगासू—निवाणी—खेत—सिलंगी मोटर मार्ग से सम्बन्धित है, जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रमाण पत्र जनपद चम्पावत में मिट्टीखाल से सुरई से सम्बन्धित भी लगाया गया है। अतः उक्त विरोधाभास को सही कर प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम ग्राम —उमराकोट उर्फ बैडाणू में प्रस्तावित की गयी है। संलग्न 4— क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बंधित प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज नं० 63—64)
6	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवार एक साथ संलग्न करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवार एक साथ संलग्न कर दिया गया है। संलग्न 5— वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज नं० 33—41)

7	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप सहित .shp file में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है। संलग्न 6— .shp file CD
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग को प्रत्यावर्तन का उल्लेख किया गया है। जबकि प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा प्रेषित किया गया है। सही सूचना का उल्लेख किया जाय एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में स्थल का नाम अंकित कर प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें। योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम भी अंकित किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में संशोधन कर निर्धारित दर के अनुसार वं स्थल का नाम अंकित कर Additional information के क्रम सं0 1 में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 7— क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (मूल कापी का पेज नं0 59-60)
9	परियोजना में बांज के वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
10	मकडिस्पोजल आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि पर प्रस्तावित किया जाय। मक डिस्पोजल मानचित्र जी0ओ0 रिफरेन्स मैप में बनाकर संलग्न करें।	मकडिस्पोजल स्कीम संशोधित कर न्यूनतम आरक्षित 0.050 हे0 ली गई है एवं मकडिस्पोजल मानचित्र जी0ओ0 रिफरेन्स मैप में बनाकर मूल कापी के पेज 13 में संलग्न कर दिया गया है। मकडिस्पोजल स्कीम Additional information के क्रम सं0 4 में अपलोड कर दी गयी है। संलग्न 8— मकडिस्पोजल स्कीम (मूल कापी का पेज नं0 78-97)
11	मकडिस्पोजल कौन सी भूमि में प्रस्तावित है, क्षेत्रफल सहित स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	मकडिस्पोजल वनपंचायत भूमि में 0.100 हे0, आरक्षित भूमि में 0.050 हे0 प्रस्ताव के अनुसार कुल 0.150 हे0 लिया गया है तथा 0.100 हे0 नाप भूमि में है।
12	प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा होने अथवा न होने तथा राष्ट्रीय पार्क से दूरी का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।	यह प्रमाण पत्र Additional information के क्रम सं0 5 में अपलोड कर दी गयी है। संलग्न 9— प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज नं0 31)
13	मानचित्र में ग्राम सिलंगी को दर्शाते हुये वैकल्पिक समरेखण दर्शाया जाये तथा मानचित्र में अधिशासी अभियन्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर भी अपेक्षित है।	मानचित्र में ग्राम सिलंगी को दर्शाते हुये वैकल्पिक समरेखण दर्शा कर मूल कापी के पेज नं0 13 पर मोहर सहित हस्ताक्षर उपरान्त संलग्न किया गया है।
14	वृक्षों की सूची का भूमिवार सारांश बनाकर तथा वृक्षों के मूल्यांकन सूची में वृक्षों का योग, परियोजना का नाम एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	वृक्षों की सूची का भूमिवार सारांश बनाकर एवं मूल्यांकन सूची में संशोधन कर Additional information के क्रम सं0 2 एवं 3 में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 10— वृक्षों एवं मूल्यांकन सूची (मूल कापी का पेज नं0 26-29)
15	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले एस0आई0आर0 को संलग्न करें।	एस0आई0आर0 आपके स्तर से संलग्न की जानी है।
16	प्रस्ताव में खुल प्रपत्रों को बाईडिंग कर संलग्न करें।	खुल प्रपत्रों को बाईडिंग कर संलग्न कर दिया गया है
17	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-2, वन संरक्षक प्रपत्र भाग-3 भी संलग्न करें।	उक्त प्रपत्र आपके स्तर से संलग्न किये जाने है।

अतः अनुरोध है कि मूल कापी के प्रपत्रों की जाँच कर प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

 8 अधिशासी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
 गौचर (चमोली)